



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 1975

आश्विन 18, 1897 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग -1

संख्या 4172/सत्रह-वि-182-74

लखनऊ, 10 अक्टूबर, 1975

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 6 अक्टूबर, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, 1975

(जिसने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

“3—(1) जापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय के पते के, जो उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा, व्योरे सहित ऐसा आपन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये एक सौ रुपये की फीस संवत् की जायगी:

संक्षिप्त नाम तथा
विस्तार

1860 के अधि-
नियम संख्या 21
की धारा 3 के
स्थान पर नयी
धारा का रखा
जाना

परन्तु रजिस्ट्रार, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिये, स्वविवेकानुसार लोक सूचना, अथवा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकेगा और सोसाइटी की रजिस्ट्री करने के पूर्व अपने द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की रजिस्ट्री करने से इन्कार करेगा, यदि सोसाइटी को इस प्रकार इन्कार किये जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार का यह समाधान ही जाता है कि:—

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के नाम के ठीक समान है ;

(ख) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसके नाम में किसी ऐसे शब्द अर्थात्, "संघ", "राज्य", "भूमि बन्धक", "भूमि विकास", "सहकारिता", "गांधी", "रिजर्व बैंक", का अथवा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या संरक्षण अभिव्यक्त या अन्तर्हित करने वाले किसी शब्द का, अथवा किसी ऐसे शब्द का जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय से कोई सम्बन्ध इंगित हो अथवा इंगित प्रकल्पित हो, प्रयोग किया गया है, अथवा उसका नाम ऐसा है, जिससे जनता के या इस अधिनियम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों के अन्यथा प्रवृत्त होना सम्भाव्य है ;

(ग) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसका कोई एक या एकाधिक उद्देश्य धारा 1 तथा 20 में उल्लिखित उद्देश्य नहीं हैं ; अथवा

(घ) उसके उद्देश्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल हैं ।

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम में शब्द 'रजिस्ट्रार' से राज्य सरकार द्वारा, इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है, जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्तियाँ, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्रदत्त की जायँ।"

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"3-क(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन किया रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, दिये जाने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 (जिसे क्रम से इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा ।

(2) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हुई हो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन देने तथा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को एक बार में दो वर्षों के लिये नवीकृत कराने की हकदार होगी :

परन्तु उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की दशा में, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार करेगा यदि उसे इस प्रकार इन्कार करने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् उनका यह समाधान ही जाय कि धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई भी कारण उसके सम्बन्ध में विद्यमान है ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को निम्नलिखित संवत्त किया जायगा :—

(क) दस रुपये की फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल किया जाय ;

(ख) पांच रुपये की अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर दाखिल किया जाय ;

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दो रुपये की दर से अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाय ।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ वह प्रमाण-पत्र होगा जिसे नवीकृत कराना है जब तक कि रजिस्ट्रार उसके हानि या उसके नाश हो जाने के आशंका पर अथवा अन्य पर्याप्त कारण से इससे अभिमत न करे ।

(5) कोई सोसाइटी जो अपने रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र एसी अवधि की जिसके लिये, प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर इस धारा के अनुसार नवीकृत नहीं कराती, अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारण से, उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी नवीकरण के लिये आवेदन पचास रुपये की फीस देने पर मंजूर कर सकेगा ।

(6) जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण उपधारा (2) या उपधारा (5) के अनुसार किया जाय तो ऐसा नवीकरण उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के दिनांक से प्रवृत्त होगा ।”

4—मूल अधिनियम की धारा 4 को पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

धारा 4 का संशोधन

“(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सूची के साथ रजिस्ट्रार को संगम के ज्ञापन (जिसके अन्तर्गत धारा 12 के अधीन किया गया कोई परिवर्तन या विस्तार या न्यूनन भी सम्मिलित है) और सोसाइटी के नियमों की एक प्रति जो अद्यतन शुद्धकृत हो और उक्त शासी निकाय के तीन से अन्तून सदस्यों द्वारा शुद्ध प्रति प्रमाणित हो, और पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे के सन्तुलन-पत्र की एक प्रति भी भेजी जायेगी ।”

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

नयी धारा 4-क का बढ़ाया जाना

“4-क—सोसाइटी के नियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति और सोसाइटी नियमों में परिवर्तन के पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना, जो शासी निकाय के आदि की सूचना रजि- तीन से अन्तून सदस्यों द्वारा प्रमाणित हो, परिवर्तन किये जाने स्ट्रार को दी जायेगी के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी ।”

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारामें बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

नयी धारा 12-क 12-ख, 12-ग, और 12-घ का बढ़ाया जाना

“12-क—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से अन्तून सदस्यों की सम्मति से, इस प्रयोजन के लिये नाम में परिवर्तन बुलाये गये साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर सकेगी ।

12-ख (1) धारा 12 के अधीन उद्देश्यों में या धारा 12-क के अधीन नाम में प्रत्येक नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सोसाइटी के सचिव तथा परिचालन की सूचना किन्हीं अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हों, रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी ।

(2) जहां कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि सोसाइटी के उद्देश्य या नाम के सम्बन्ध में और, यथास्थिति, उद्देश्य या नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है वहां वह, धारा 12-ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नाम में परिवर्तन को रजिस्ट्रार में दर्ज कर सकेगा जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से प्रभावी होगा ।

12-ग—सोसाइटी के उद्देश्यों या नाम में परिवर्तन से सोसाइटी के किन्हीं अधिकारों अथवा बाधप्रताओं पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन का प्रभाव सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाहियां परिचालित होंगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती थी, या प्रारम्भ की जा सकती थी, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उस नये नाम से जारी रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेगी ।

12-घ—(1)—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को निम्नलिखित में से रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की किसी भी आधार पर रद्द कर सकेगा:—
रजिस्ट्रार की शक्ति

(क) सोसाइटी का या उसके नाम का या उसके नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल था;

(ख) उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्थापित क्रिया-कलाप समिति के उद्देश्यों का विनाश करने वाले अथवा लोक नीति के विरुद्ध रहे हों, वा हों, या होंगे :

परन्तु किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि सोसाइटी को अपने नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन करने अथवा उसके सम्बन्ध में, किये जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।”

धारा 13 का संशोधन

नई धारा 13-क तथा 13-ख का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द “सोसाइटी का मुख्य भवन” के स्थान पर शब्द “सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय” रख दिये जायें।

8—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

“13-क—(1) जहां कि रजिस्ट्रार की राय में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में यह विश्वास करने के युक्तियुक्त विधटन के लिये आवेदन आधार हों कि धारा 13-ख की उपधारा (1) के करने की रजिस्ट्रार की शक्ति खण्ड (क) से (ख) में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार विद्यमान है वहां वह सोसाइटी की नोटिस भेजेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उतने समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताये कि सोसाइटी विघटित क्यों न कर दी जाय।

(2) यदि नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व अथवा ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, सोसाइटी कोई कारण बताने में असफल रहती है अथवा बताये गये कारण की रजिस्ट्रार असन्तोषजनक समझे तो रजिस्ट्रार धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय को, सोसाइटी के विघटन का आदेश देने के लिये समावेदन कर सकेगा।

13-ख—(1) धारा 13-क या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर अथवा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के एक न्यायालय द्वारा विघटन बटा उस से अन्वून सदस्यों द्वारा दिये गये आवेदन पर धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन का आदेश दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और यह न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी का विघटन किया जाय;

(ख) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या घटकर सात से कम हो गई है;

(ग) सोसाइटी ने ऐसे आवेदन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक से कार्य करना बन्द कर दिया है;

(घ) सोसाइटी अपने ऋणों का संदाय करने में अथवा अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है; या

(ङ) सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा 12-घ के अधीन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उसके क्रिया-कलाप अथवा प्रस्थापित क्रिया-कलाप लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं, या हैं, अथवा होंगे।

(2) उपधारा (1) या धारा 12-घ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के लक्ष्य आवेदन पर, सोसाइटी का इस आधार पर विघटन करने का आदेश दे सकेगा कि सोसाइटी के क्रिया-कलापों से लोक न्यूसेन्स होता है; अथवा अन्यथा लोक नीति के विरुद्ध हैं।

(3) जब उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी के विघटन का आदेश दिया जाय तब सोसाइटी की सम्पत्ति, उसके दायों तथा दायित्वों और उसके कामकाज के अन्य किसी सभावोजन, के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई ऐसी रीति से होगी जो न्यायालय निर्देशित करे।”

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“14-क—धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी समिति के सदस्यों के लिये ऐसी समिति के विघटन के समय पर स्वयं विघटित सोसाइटी या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, यह अवधारित करना विधिपूर्ण होगा कि सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् दबी हुई कोई भी सम्पत्ति धारा 1 में निर्दिष्ट किर्हों की प्रयोजनों के निमित्त उपयोग करने के लिये सरकार को दे दी जायेगी।”

10—मूल अधिनियम का धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“16-क—कोई व्यक्ति जो अनुमोदित दिनांकित हो अथवा जिसे किसी सोसाइटी या निगमित निकाय के बनाने या प्रबंध अथवा कामकाज का संचालन करने के सम्बन्ध में किसी अपराध के लिये, या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए, सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या किसी निकाय या सदस्य या सोसाइटी का प्रधान, सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने और होने के लिये अर्ह होना।”

धारा 16-क का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 19 में—

(1) शब्द “हर निरीक्षण के लिए एक रुपये की फीस देकर” के स्थान पर शब्द “ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे” रख दिये जायें, और

(2) शब्द “ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये दो आने देकर” के स्थान पर शब्द “ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे” रख दिये जायें।

धारा 19 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

“22—(1)—रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन उस सोसाइटी द्वारा दाखिल किये गये किन्हीं दस्तावेजों के सम्बन्ध में लिखित रूप से ऐसी सूचना या दस्तावेज, ऐसे समय के भीतर जो सोसाइटी द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो सप्ताह से अग्यून हो, जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश प्राप्त होने पर, प्रधान, सचिव या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करे।

23—(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 22 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से किसी विनिर्दिष्ट वर्ष का अग्रपत्र लेखा, अथवा किसी विनिर्दिष्ट वर्ष के अग्रपत्र काय-व्यय के विवरण की प्रति जो किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

परन्तु रजिस्ट्रार सोसाइटी के अनुरोध पर ऐसे लेखों तथा विवरण को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह अनुमोदित करे संपरीक्षित कराने की अनुमति दे सकेगा।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों को आदेश में विनिर्दिष्ट अग्रपत्र के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अग्रपत्र के भीतर जैसी रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुमति दे, प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष के लेखों की संपरीक्षा करा सकेगा और ऐसी संपरीक्षा के खर्च उस सोसाइटी से घट्टल कर सकेगा।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा के लिए अपने लेखों या अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में अपेक्षा करती है या उससे इनकार करती है अथवा, रजिस्ट्रार की राय में सम्यक् शीघ्रता से संपरीक्षा किये जाने के लिए अपेक्षित सूचियाँ की व्यवस्था करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

24—(1) जहाँ कि धारा 22 के अधीन या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर या धारा 23 सोसाइटी के काम-काज का अन्वेषण की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की यह राय हो कि इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का कामकाज इस प्रकार संचालित किया जा रहा है जिससे कि सोसाइटी का उद्देश्य विफल हो सकता है या सोसाइटी अथवा उसकी शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या उसका ऐसा कोई अधिकारी जिसका सोसाइटी पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण है, उसके कामकाज का कुप्रबन्ध करने का अथवा वैज्ञानिक या उसी प्रकार की अन्य बाधयता को भंग करने का दोषी है तो रजिस्ट्रार, या तो स्वयं अथवा अपने द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण या अन्वेषण कर सकेगा अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि जब रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो वह सोसाइटी के अथवा उससे संबंधित कोई लेखा पुस्तक तथा अन्य अभिलेख जो उसकी अभिरक्षा में हों, प्रस्तुत करे और उसे ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के संबंध में सभी सहायता दे।

नयी धारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 का बढ़ाया जाना

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के काम-काज के संबंध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी को बुला सकेगा और शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकेगा और प्रत्येक अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी का, जब वह बुलाया जाये, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षा के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो।

(4) यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण, की समाप्ति पर निरीक्षण या अन्वेषण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार को अपने निरीक्षण या अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट देगा।

(5) रजिस्ट्रार ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के पश्चात् सोसाइटी या उसके शासी निकाय या उसके किसी अधिकारी को किन्हीं त्रुटियों या अनियमितताओं को, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, दूर करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसे निदेशों के अनुसार कार्रवाई करने में व्यतिक्रम होने की दशा में रजिस्ट्रार यथास्थिति, धारा 12-थ या धारा 13-ख, के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

पदाधिकारियों
के निर्वाचन के
संबंध में विवाद

25--(1) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रार द्वारा या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के कम से कम एक-बोथार्ड सदस्यों द्वारा, उसे निदेश दिये जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन या पद पर बने रहने के सम्बन्ध में शंका और विवाद को सुनवाई और विनिश्चय संक्षिप्त तौर पर कर सकेगा, और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो उचित समझे।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश से कोई निर्वाचन अपास्त कर दिया जाय अथवा यह तय किया जाय कि कोई पदाधिकारी पद पर बने रहने का हकदार नहीं रह गया है, या रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है, तो वह ऐसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का अधिवेशन ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों का निर्वाचन करने के लिए बुला सकेगा और ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता और उसका संचालन रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायगा, और अधिवेशन तथा निर्वाचनों के सम्बन्ध में सोसाइटी के नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिष्कार के साथ लागू होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन बुलाया जाय तो निर्वाचन के प्रयोजन के लिए कोई अन्य अधिवेशन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "विहित प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या न्यायालय अधिप्रेत है।

26—जहाँ कि कोई सोसाइटी किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से धन या दान की शर्त किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति का दान या संदान स्वीकार करती है, का अनुपालन वहाँ वह दान या संदान किये गये धन या अन्य सम्पत्ति अथवा उसके किया जाना किसी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगी जो ऐसी सहमति देने से तब तक के सिवाय इन्कार कर देगा, जब उसका यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन जिसके लिये दान दिया गया था, सोसाइटी द्वारा निष्पादन किये जाने के योग्य नहीं है।

शास्तियाँ

27—कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा 4 या 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी सूची या किसी विवरण, या नियमों की अथवा नियमों में परिवर्तन की प्रति या अन्य सूचना से कोई मिथ्या प्रविष्टि या उससे लोप जानबूझ कर करेगा अथवा करायेगा;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में विहित कोई लेखा या विवरण देने में जानबूझ कर असफल रहेगा अथवा उक्त उपधारा के अनुपालन में ऐसी विविष्टियाँ देगा जो मिथ्या हैं और जिन्हें वह या तो मिथ्या जानता है या जिनके मिथ्या होने का वह विश्वास करता था या जिनके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संपरीक्षा के लिए अपना लेखा उपलब्ध कराने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा;

(घ) धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित कोई लेखा पुस्तक या अन्य अभिलेख पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा;

(ड) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने में जानबूझकर असफल रहेगा, अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा;

यह जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

28—कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और न रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश से लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये परिचाद के सिवाय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान किया जायगा।

29—(1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह प्रचलित हो कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है या जिसके विरुद्ध उस धारा के अधीन कोई अभियोग संस्थित किया गया है, ऐसे अपराध के लिए जिसके ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जाने का संदेह है या जिसके लिए उस पर अभियोग लगाया गया है प्रशमन फीस के रूप में कोई धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रशमन फीस का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अप्रैतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग संस्थित किया गया हो तो प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि उसे दोष-मुक्त कर दिया जायेगा।

30—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय फीस ऐसी रीति से दो जायगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

31—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन स्वभावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार, रजिस्ट्रार या धारा 24 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न होगी।

32—(1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने वाले कोई नोटिस, आदेश या अध्वपेक्षा जो किसी सोसाइटी या उसके शासी निकाय के लिए हो, सोसाइटी के सचिव पर तामील की जा सकेगी, और जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे सचिव पर तामील किया जाना उतना ही प्रभावी होगा मानों वह, यथास्थिति, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य पर या उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य पर तामील किया गया हो।

(2) सोसाइटी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से ऐसी नोटिस, आदेश या अध्वपेक्षा भेजना सोसाइटी पर पर्याप्त रूप से उसकी तामील माना जायगा।

33—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, शासकीय नियम बनाने की शक्ति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जिसका विस्तारण उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगा, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे उपान्तरों या बातिलकरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान सभल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तर या बातिलकरण उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव डाले बिना होगा।

No. 4172 (2) /XVII-V-182-74

Dated Lucknow, October 10, 1975

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Society Registrarian (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 52 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 6, 1975 :

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH
AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act No. 52 of 1975),

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Societies Registration Act, 1860, in its application to
Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Substitution of new section 3 of XXI of 1860.

2. In the Societies Registration Act, 1860 as amended in its application for to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, for section 3, the Act following section shall be substituted, namely :—

"3. (1) Upon such memorandum and certified copy being filed along with particulars of the address of the Society's office which shall be its registered address, by the Secretary of the Society on behalf of the persons subscribing to the memorandum, the Registrar shall certify under his hand that the Society is registered under this Act. There shall be paid to the Registrar for every such registration a fee of one hundred rupees :

Provided that the Registrar may, in his discretion, issue public notice or issue notice to such persons as he thinks fit inviting objections, if any, against the proposed registration and consider all objections that may be received by him before registering the Society.

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1) the Registrar shall refuse to register a society, if after giving it an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that—

(a) the name of the society is identical with that of any other society previously registered under this Act ;

(b) the name of the society sought to be registered uses any of the words, namely, 'union', 'State', 'Land Mortgage', 'Land Development', 'Co-operative', 'Gandhi', 'Reserve Bank' or any words expressing or implying the sanction, approval or patronage of the Central or any State Government or any word which suggests or is calculated to suggest any connection with any local authority or any corporation or body constituted by or under any law for the time being in force, or is such as is otherwise likely to deceive the public or the members of any other society previously registered under this Act ;

(c) any one or more of the objects of the society sought to be registered is not an object mentioned in sections 1 and 20 ; or

(d) its objects are contrary to any other law for the time being in force.

Explanation—In this Act, the word 'Registrar' means a person appointed as such by the State Government, and includes an Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar, or Assistant Registrar, on whom all or any of the powers of Registrar under this Act are conferred by general or special order of the State Government."

3. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 3-A.

"3-A. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), a certificate of registration issued under section 3 shall remain in force for a period of two years from the date of issue :
Renewal of certificate of registration.

Provided that a certificate issued before the commencement of the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974 (herein after in this section referred to as the said Act), shall remain in force for a period of two years from the date of such commencement.

(2) A Society registered under section 3, whether before or after the commencement of the said Act, shall on application made to the Registrar within one month of the expiration of the period referred to in sub-section (1) and on payment of the fee specified in sub-section (3), be entitled to have its certificate of registration renewed for two years at a time :

Provided that in the case of a society registered before the commencement of the said Act, the Registrar shall refuse to renew the certificate of registration if after giving it an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that any of the grounds mentioned in sub-section (2) of section 3 exist in respect thereof.

(3) There shall be paid to the Registrar with every application for renewal of the certificate of registration—

(a) a fee of ten rupees, if such application is filed within the period specified in sub-section (2) ;

(b) an additional fee of five rupees, if such application is filed within one month of the date of expiration of the period specified in sub-section (2) ; and

(c) an additional fee at the rate of two rupees per month or part thereof, if such application is filed beyond one month of the expiration of the period specified in sub-section (2).

(4) Every application for renewal of the certificate of registration shall be accompanied by the certificate sought to be renewed unless dispensed with by the Registrar on the ground of its loss or destruction or other sufficient cause.

(5) A society which fails to get its certificate of registration renewed in accordance with this section within one year from the expiration of the period for which the certificate was operative shall become an unregistered society :

Provided that the Registrar may, for sufficient cause, allow an application for renewal more than one year after the expiration of the period for which the certificate was operative on payment of a fee of fifty rupees.

(6) Where a certificate of registration is renewed in accordance with sub-section (2) or sub-section (5) such renewal shall operate from the date of expiration of the period for which the certificate was operative."

4. Section 4 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely :— Amendment of section 4.

"(2) Together with list mentioned in sub-section (1) there shall be sent to the Registrar a copy of the memorandum of association including any alteration, extension, or abridgement of purposes made under

section 12, and of the rules of the society corrected up to date and certified by not less than three of the members of the said governing body to be a correct copy and also a copy of the balance-sheet for the preceding year of account."

Insertion of new section 4-A.

5. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"4-A. A copy of every change made in rules of the society and intimation of every change of address of the society, certified by not less than three of the members of the governing body shall be sent to the Registrar within thirty days of the change."

Insertion of new sections 12-A, 12-B, 12-C and 12-D.

6. After section 12 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

"12-A. Any society registered under this Act may, with the consent of not less than two-thirds of the total number of its members, change its name by resolution passed at a general meeting convened for the purpose.

12-B. (1) Notice in writing of every change of objects made under section 12 or of name made under section 12-A signed by the secretary and any three other members of the society shall be sent to the Registrar.

(2) Where the Registrar is satisfied that the provisions of this Act in respect of objects or name of society and in respect of change of objects or of name, as the case may be, have been complied with, he may subject to the provisions of section 12-C register the change of name which shall have effect from the date of such registration.

12-C. The change in the objects or name of a society shall not affect any rights or obligations of the society, nor render defective any legal proceedings by or against the society, and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name.

12-D. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar may, by order in writing, cancel the registration of any society on any of the following grounds :—

(a) that the registration of the society or of its name or change of name was contrary to the provisions of this Act or of any other law for the time being in force ;

(b) that its activities or proposed activities have been or are or will be subversive of the objects of the society or opposed to public policy :

Provided that no order of cancellation of registration of any society shall be passed until the society has been given a reasonable opportunity of altering its name or object or of showing cause against the action proposed to be taken in regard to it.

(2) An appeal against an order made under sub-section (1) may be preferred to the State Government within one month from the date of communication of such order.

(3) The decision of the State Government under sub-section (2), shall be final and shall not be called in question in any court."

Amendment of section 13.

7. In section 13 of the principal Act, for the words, "chief building of the society" the words, "registered office of the society" shall be substituted.

After section 13 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:— sections 13-A and 13-B.

13-A. (1) Where in the opinion of Registrar, there are reasonable grounds to believe in respect of a society registered under this Act that any of the grounds mentioned in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 13-B exists he shall send to the society, a notice calling upon it to show cause within such time as may be specified in the notice why the society be not dissolved.

(2) If on or before the date specified in the notice or within such extended period as the Registrar may allow, the society fails to show any cause or if the cause shown is considered by the Registrar to be unsatisfactory, the Registrar may move the Court referred to in section 13 for making an order for the dissolution of the society.

13-B. (1) On the application of the Registrar under section 13-A or under section 24 or on an application made by not less than one-tenth of the members of a society registered under this Act; the court referred to in section 13 may make an order for the dissolution of the society on any of the following grounds, namely—

(a) that the society has contravened any provision of this Act or of any other law for the time being in force and it is just and equitable that the society should be dissolved ;

(b) that the number of the members of the society is reduced below seven ;

(c) that the society has ceased to function for more than three years preceding the date of such application ;

(d) that the society is unable to pay its debts or meet its liabilities ; or

(e) that the registration of the society has been cancelled under section 12-D on the ground that its activities or proposed activities have been or are or will be opposed to public policy.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or of section 12-D, the Court may, on an application of the District Magistrate in this behalf, make an order for the dissolution of a society on the ground that the activities of the society constitute a public nuisance or are otherwise opposed to public policy.

(3) When an order for the dissolution of a society is made under sub-section (1) or sub-section (2), all necessary steps for the disposal and the settlement of the property of the society, its claims and liabilities and any other adjustment of its affairs shall take place in manner as the court may direct."

9. After section 14 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 14-A.

14-A. Notwithstanding anything contained in section 14, it shall be lawful for the members of any society dissolved under section 13 to determine, by a majority of the votes of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution of such society, that any property whatsoever remaining after the satisfaction of all the debts and liabilities shall be given to the Government to be utilised for any of the purposes referred to in section 1."

10. After section 16 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 16-A.

16-A. A person who is an undischarged insolvent or who has been convicted of any offence in connection with the formation, promotion, management or conduct of the affairs of a society, or of a body corporate, or of an offence involving moral turpitude shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the governing body or the President, Secretary, or any other office-bearer of a society."

(i) for the words "on payment of a fee of one rupee for each inspection" the words "on payment of such fee as the State Government may, by notification in the Official Gazette fix", shall be substituted; and

(ii) for the words "on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract", the words "on payment of such fee as the State Government may, by notification in the Official Gazette, fix" shall be substituted.

Insertion of new
sections 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 and 33.

12. After section 21 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely—

Power of Registrar to call for information.
"22. (1) The Registrar may, by written order, require any society to furnish in writing such information or document within such time, being ordinarily not less than two weeks from the date of receipt of the order by the society, as he may specify in the order in connection with the affairs of the society or any documents filed by the society under this Act.

(2) On receipt by the society of an order under sub-section (1), it shall, be the duty of the President, Secretary or any other person authorised in this behalf to furnish such information or documents.

Audit.
23. (1) Without prejudice to the provisions of sub-section (2) of section 4 or of section 22, where the Registrar is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by written order, require any society to furnish its accounts or a copy of a statement of receipts and expenditure for any particular year duly audited by a Chartered Accountant :

Provided that the Registrar may, at the request of society permit it to have such accounts and statement audited by any other person approved by him.

(2) If the society fails to furnish the documents referred to in sub-section (1) within the period specified in the order or within such extended period as the Registrar may from time to time allow, the Registrar may cause the accounts of such society audited for the said year and may recover the cost of such audit from that society.

(3) If the society neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit under sub-section (2) or, in the opinion of the Registrar, otherwise fails to provide requisite facilities to have the audit made with due expedition, the Registrar may proceed to take action under section 24.

Investigation of affairs of a society.
24. (1) Where on information received under section 22 or otherwise, or in circumstances referred to in sub-section (3) of section 23, the Registrar is of opinion that there is apprehension that the affairs of a society registered under this Act are being so conducted as to defeat the objects of the society or that the society or its governing body by whatever name called, or any officer thereof in actual effective control of the society is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations, the Registrar may, either himself or by any person appointed by him in that behalf, inspect or investigate into the affairs of the society or inspect any institution managed by the society.

(2) It shall be the duty of every officer of the society when so required by the Registrar or other person appointed under sub-section (1) to produce any books of account and other records of or relating to the society which are in his custody and to give him all assistance in connection with such inspection or investigation.

(3) The Registrar or other person appointed under sub-section (1) may call upon and examine on oath any officer, member or employee of the society in relation to the affairs of the society and it shall be the duty of every officer, member or employee, when called upon, to appear before him for such examination.

(4) On the conclusion of the inspection or investigation, as the case may be, the person, if any, appointed by the Registrar to inspect or investigate shall make a report to the Registrar on the result of his inspection or investigation.

(5) The Registrar may, after such inspection or investigation, give such directions to the society or to its governing body or any officer thereof as he may think fit, for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified and in the event of default in taking action according to such directions, the Registrar may proceed to take action under section 12-D or section 13-B, as the case may be.

25. (1) The prescribed authority may, on a reference made to it by the Registrar or by at least one-fourth of the members of a society registered in Uttar Pradesh, hear and decide in a summary manner any doubt or dispute in respect of the election or continuance in office of an office-bearer of such society, and may pass such orders in respect thereof as it deems fit.

(2) Where by an order made under sub-section (1), an election is set aside or an office-bearer is held no longer entitled to continue in office or where the Registrar is satisfied that any election of office-bearers of a society has not been held within the time specified in the rules of that society, he may call a meeting of the general body of such society for electing such office-bearer or office-bearers, and such meeting shall be presided over and be conducted by the Registrar or by any officer authorised by him in this behalf, and the provisions in the rules of the society relating to meetings and elections shall apply to such meeting and election with necessary modifications.

(3) Where a meeting is called by the Registrar under sub-section (2), no other meeting shall be called for the purpose of election by any other authority or by any person claiming to be an office-bearer of the society.

Explanation—For the purposes of this section, the expression 'prescribed authority' means an officer or court authorised in this behalf by the State Government by notification published in the Official Gazette.

26. Where a society accepts a gift or donation of money or property of any other kind from any person for a specific purpose, it shall not use the money or other property gifted or donated or any part thereof for any other purpose without the written consent of the Registrar who shall refuse such consent except when he is satisfied that the purpose for which the gift was made is incapable of execution by the society.

27. Any person who—

(a) wilfully makes or causes to be made a false entry in, or any omission from, the list or any statement or copy of rules or of alteration in rules or other information sent to the Registrar under section 4 or section 4-A ;

(b) wilfully fails to furnish any account or statement referred to in sub-section (1) of section 23 or furnishes in compliance with the said sub-section particulars which are false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true ;

(c) neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit as required by sub-section (3) of section 23 ;

(d) wilfully fails to produce any books of accounts or other records as required by sub-section (2) of section 24 ;

(e) wilfully fails to appear before the Registrar or other person appointed by him or otherwise contravenes the provisions of sub-section (3) of section 24 ;

shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

28. No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Registrar or any other person authorised in writing by him by general or special order in that behalf.

29. (1) The Registrar may accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under section 27 or against whom a prosecution under that section has been instituted, a sum of money by way of composition fee for the offence which such person is suspected or accused to have committed.

(2) On the payment of such composition fee the suspected person if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him, and if prosecution of such person had been instituted, the composition shall have the effect of his acquittal.

30. Fees payable under the provisions of this Act shall be paid in such manner as may be prescribed by rules.

Manner of pay-
ment of fees.

31. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie in any court against the State Government, the Registrar or against any person appointed for inspection or investigation under section 24, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Indemnity.

Mode of service
of notice, etc. by
Registrar.

32. (1) Any notice, order or requisition meant for a society or for the governing body thereof to be issued by the Registrar may be served on the Secretary of the society, and service on the Secretary be as effectual as if the same had been served on every member of the society or, as the case may be, on every member of the governing body thereof, unless the Registrar otherwise directs.

(2) The sending of such notice, order or requisition to the secretary of the society by registered post at its registered office shall amount to sufficient service thereof on the society.

33. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make
rules.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be, after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done thereunder."

आज्ञा से,
केलाश नाथ गोयल,
सचिव ।